

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-05/1/सा.प्र.वि./2020/1454

भिलाई, दिनांक 7.12.2020

//आदेश//

श्री राजेश कुमार नारंग आत्मज स्व0 श्री जगन्नाथ नारंग, अधीक्षण अभियंता की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 28.01.2021 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2021 को अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ-05/1/सा.प्र.वि./2020/1455
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 7.12.2020

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. श्री राजेश कुमार नारंग आत्मज स्व0 श्री जगन्नाथ नारंग, अधीक्षण अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त 02, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई